निग – 1347– II-16

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

1. धरमचंद जैन आयु 48 साल बल्द कोमलचंद जैन
2. ऋषभ कुमार जैन उम्र 45 साल बल्द कोमलचंद जैन
3. हरीशचंद उर्फ कुक्कु आयु 40 साल बल्द कोमलचंद जैन
4. दिनेश कुमार आयु 45 साल बल्द सुरेशचंद जैन
5. संतोषरानी उर्फ लक्ष्मीबाई उम्र 68 साल बेवा कोमलचंद जैन

सभी निवासी - मानक चौक नरयावली सागर

तह. व जिला सागर म.प्र. ....**पुनरीक्षणकर्ता**

O.P. Sharma Adv 30.4.2016

//विरुद्ध//

1. श्रीमति विमला जैन आयु 55 साल बेवा केदारनाथ जैन
2. मनीष आयु 31 साल बल्द केदारनाथ जैन
3. रजनीश आयु 24 साल बल्द केदारनाथ जैन
4. श्रीमति सरिता आयु 27 साल पुत्री केदारनाथ जैन
5. श्रीरीष कुमार जैन बल्द केदारनाथ जैन

सभी निवासी - सियरमऊ रोड सिलवानी,

तह. सिलवानी जिला रायसेन म.प्र.

6. म.प्र. शासन

द्वारा - श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर ..**प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण**

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. सं.

पुनरीक्षणकर्तागण विनम्र प्रार्थी हैं :-

पुनरीक्षणकर्तागण यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राहतगढ़ जिला सागर पक्षकार (विमला जैन बगैरह विरुद्ध धरमचंद बगैरह अपील कं. 9 अ/6/2014-2015

हरिशचन्द जैन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1347-दो/2016 जिला सागर धरमचंद विरूद्ध विमला व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 9/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 05-04-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-04-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर के. जैन)
सदस्य
16-01-19